

19/5/25

पत्रावली पेश है। कृष्णापत्तन अंतर्गत 243/1 वकील
 वारी-धाम प्रयोग पत्र तथा कृष्णापत्तन स्थान-57, 88, 89, 188
 रिजर्व 210 पत्रावली बावट करके तथा प्रविष्टिमा 245-5
 धाम प्रयोग 241-1 व 2 की पत्रावली के संबंध में प्रमाण
 पत्र प्रेषित किए जाते हैं और वास से प्रविष्टिमा
 245-5 का नाम प्रिवेट किए जाते हैं। नमेश। विपिन
 10 पेश विपिन 7 वकील की पत्रावली 210 नमो रोज प्रविष्टिमा
 धाम से प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण। पत्रावली वाहे
 पत्राव/वकील ~~...~~ तथा प्रमाण प्रमाण प्रमाण
 18/6/25 को पेश है।

18-6-25

गैरासीन अधिकारी ~~...~~ को
 में रहने से पूर्ववत् दिनांक ~~...~~
 को प्रस्तुत की। 2-7-25


 उपखण्ड अधिकारी बारी

2-7-25

गैरासीन अधिकारी ~~...~~ को
 में रहने से पूर्ववत् दिनांक ~~...~~
 को प्रस्तुत की। 11-7-25


 उपखण्ड अधिकारी बारी

11-7-25

गैरासीन अधिकारी ~~...~~ को
 में रहने से पूर्ववत् दिनांक ~~...~~
 को प्रस्तुत की। 12-4-25


 उपखण्ड अधिकारी बारी

28/7/25

पत्रावली प्रयोग पत्र वाहे शेष कृष्णापत्तन 243/1 वकील
 वारी-धाम पेश वकील पत्र प्रमाण को प्रमाण प्रमाण
 पेश है। वकील प्रयोग/वारी को कृष्णापत्तन पत्रावली
 एवं प्रिवेट का प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण
 पत्रावली प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण
 पत्रावली प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण
 प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण
 को पेश है।


 उपखण्ड अधिकारी
 बारी

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

04.08.25

पत्रावली पेश हुई। वकील डिक्रीदार उप०। तहसील से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त जो शा० फ० है। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम बामली की आराजी खसरा नं० 3 रकबा 2.27 हे०, तथा ग्राम बामला के खसरा नं० 569 रकबा 0.36 हे०, 1026 रकबा 2.19 हे०, 1151 रकबा 0.20 हे०, 1152 रकबा 0.07 हे०, 217 रकबा 3.79 हे०, 218 रकबा 0.37 हे०, 223 रकबा 0.19 हे०, 1024 रकबा 0.12 हे०, 1025 रकबा 1.58 हे०, 1031 रकबा 0.04 हे० भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का पृथक-पृथक विभाजन किया जाना है। तहसील से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव हिस्से अनुसार मौके पर कमी रकबे की पूर्ति हेतु समीपस्थ खातेदारी की खसरा नं० में से लगवा भूमि से पूर्ति की गई है। वादीगण क्रमांक 01 खातेदारी में 2.44 हे०, भूमि पूर्व में भी दादाजी की खातेदारी भूमि में दर्ज करवा लेने से सहमति अनुसार उक्त विभाजन में हिस्से से कम भूमि का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

Handwritten signature

प्राथमिक डिक्री में कान्ति बाई पुत्री धन्नालाल, लोकेश पुत्र, प्रियंका पुत्री राजाराम का नाम वादीगण में दर्ज है। जबकि वर्तमान जमाबन्दी में उक्त तीनों नाम क्रमशः हक त्याग व फौती नामान्तरण दर्ज होने से हट गये हैं।

ग्राम बामला की आराजी खाता संख्या 567 किता 4 रकबा 2.82 हे० व खाता संख्या 568 किता 6 रकबा 6.09 हे० व ग्राम बामली में खाता संख्या 235 खसरा नं० 3 रकबा 2.87 हे० में खातेदार कान्ति बाई पुत्री धन्नालाल जाति मीना का हिस्सा 1/10 दर्ज है। कान्ति बाई ने अपने हिस्से की आराजी का हक तर्क अपने सगे भाईयों हरिशंकर व रामेश्वर के पक्ष में नामान्तरण संख्या 2416 बामला नामान्तरण संख्या 1178 बामली में कर दिया है। जो कि राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका है।

अतः पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक तहसीलदार बारां से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :-

1. ग्राम बामला/बामली तह० बारां की आराजी :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख०नं०	रकबा	दिशा	ग्राम
1.	शिवप्रकाश पुत्र प्रभूलाल विमला बाई सुनयना बाई पुत्रिया प्रभूलाल जानकी बाई पत्नि स्व प्रभूलाल जाति मीना सा० बामला	3	0.90 हे०	दक्षिणी	बामली
2	हरिशंकर पुत्र धन्नालाल जाति मीना सा० बामला रहन PNB शाखा बारां हि० 193/350	3	1.37 हे०	उत्तरी	बामली
3	शिवप्रकाश पुत्र प्रभूलाल विमला बाई सुनयना बाई पुत्रिया प्रभूलाल जानकी बाई पत्नि स्व प्रभूलाल जाति मीना सा० देह	1024 1031	0.12 हे० 0.04 हे०	सम्पूर्ण	बामला
	किता	2	0.16 हे०		
4	हरिशंकर पुत्र धन्नालाल जाति मीना सा० देह रहन PNB शाखा बारां हि० 193/350	217 218 1025	0.48 हे० 0.37 हे० 1.28 हे०	पूर्वी-उत्तरी सम्पूर्ण पश्चिमी	बामला
	किता	3	2.13 हे०		
5	रामेश्वर पुत्र धन्नालाल जाति मीना सा० देह रहन ICICI बैंक लि० शाख्या बारां हि 193/350	217 223	3.31 हे० 0.19 हे०	सम्पूर्ण	बामला
	किता	2	3.50 हे०		
6	विजय कुमार पुत्र राजाराम कोशल्या बाई पत्नि स्व राजाराम जाति मीना सा० देह रहन ICICI बैंक लि० शाख्या बारां हि 70/312	569 1025 1026 1151 1152	0.36 हे० 0.30 हे० 2.19 हे० 0.20 हे० 0.07 हे०	सम्पूर्ण पूर्वी सम्पूर्ण सम्पूर्ण सम्पूर्ण	बामला

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
बारां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज०)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 126/2017	धारा अन्तर्गत 53,88,89, 188 आर टी एक्ट	अन्तिम निर्णय दिनांक : 04/08/2025
समक्ष श्री विश्वजीत सिंह आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति अभिभाषक वादी - श्री नरेन्द्र सोमानी एडव०	अभिभाषक प्रतिवादी - श्री हरिओम चतुर्वेदी एडव०	

वाद शीर्षक

उत्तमान

- शिवप्रकाश पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासी बामला हाल निवासी बारां तहसील बारां
- विमला बाई पुत्री श्री प्रभूलाल पत्नी श्री रामचन्द्र जाति मीणा निवासी खेडली भेडोलिया तहसील बारां जिला बारां
- सुनयना बाई पुत्री स्व श्री प्रभूलाल पत्नि श्री सत्यप्रकाश जाति मीणा निवासी बामला हाल निवासी कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा
- जानकी बाई पत्नि स्व प्रभूलाल जाति मीणा निवासी बामला हाल निवासी बारां जिला बारां राज०
- कान्ति बाई पुत्री धन्नालाल पत्नि भगवानलाल जाति मीणा निवासी बरला तह० अटरू
- लोकेश पुत्र श्री राजाराम जाति मीणा निवासी बामला
- विजय कुमार पुत्र श्री राजाराम जाति मीणा निवासी बामला
- प्रियंका पुत्री श्री राजाराम जाति मीणा निवासी बामला
- कौशल्या बाई पत्नि श्री राजाराम जाति मीणा निवासी बामला तहसील बारां जिला बारां राज०

वादीगण-

बनाम

- हरिशंकर पुत्र श्री धन्नालाल जाति मीणा निवासी बामला तहसील बारां जिला बारां
- रामेश्वर पुत्र श्री धन्नालाल जाति मीणा निवासी बामला तहसील बारां जिला बारां
- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार बारां तहसील बारां जिला बारां

प्रतिवादीगण-

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:-

प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम बामली की आराजी खसरा नं० 3 रकबा 2.27 हे०, तथा ग्राम बामला के खसरा नं० 569 रकबा 0.36 हे०, 1026 रकबा 2.19 हे०, 1151 रकबा 0.20 हे०, 1152 रकबा 0.07 हे०, 217 रकबा 3.79 हे०, 218 रकबा 0.37 हे०, 223 रकबा 0.19 हे०, 1024 रकबा 0.12 हे०, 1025 रकबा 1.58 हे०, 1031 रकबा 0.04 हे० भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :-


क्र.सं.	नाम खातेदार	ख०नं०	रकबा	दिशा	ग्राम
1.	शिवप्रकाश पुत्र प्रभूलाल विमला बाई सुनयना बाई पुत्रिया प्रभूलाल जानकी बाई पत्नि स्व प्रभूलाल जाति मीणा सा० बामला	3	0.90 हे०	दक्षिणी	बामली
2	हरिशंकर पुत्र धन्नालाल जाति मीणा सा० बामला रहन PNB शाखा बारां हि० 193/350	3	1.37 हे०	उत्तरी	बामली
3	शिवप्रकाश पुत्र प्रभूलाल विमला बाई सुनयना बाई पुत्रिया प्रभूलाल जानकी बाई पत्नि स्व प्रभूलाल जाति मीणा सा० देह	1024 1031	0.12 हे० 0.04 हे०	सम्पूर्ण	बामला
	किता	2	0.16 हे०		
4	हरिशंकर पुत्र धन्नालाल जाति मीणा सा० देह रहन PNB शाखा बारां हि० 193/350	217 218 1025	0.48 हे० 0.37 हे० 1.28 हे०	पूर्वी-उत्तरी सम्पूर्ण पश्चिमी	बामला
	किता	3	2.13 हे०		
5	रामेश्वर पुत्र धन्नालाल जाति मीणा सा० देह रहन ICICI बैंक लि० शाखा बारां हि 193/350	217 223	3.31 हे० 0.19 हे०	सम्पूर्ण	बामला
	किता	2	3.50 हे०		
6	विजय कुमार पुत्र राजाराम कौशल्या बाई पत्नि स्व राजाराम जाति मीणा सा० देह रहन ICICI बैंक लि० शाखा बारां हि 70/312	569 1025 1026 1151 1152	0.36 हे० 0.30 हे० 2.19 हे० 0.20 हे० 0.07 हे०	सम्पूर्ण पूर्वी सम्पूर्ण सम्पूर्ण सम्पूर्ण	बामला

उपखण्ड अधिकारी
बारां

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार रू0 का व्ययानुतोष द्वारा को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 04/8/2025 को निर्गत किया गया।


उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड न्यायालय,
बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष	
		वादी	प्रतिवादी
1	वद पत्र/लिखित कथन		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिष्जर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज ()		
10	योग		

करण संख्या :- ए 1
शायरा दिनांक :- 04
निर्णय दिनांक :-

1. शिवप्रत
2. विम